संदर्भ.सं.राबैं.डीएफ़आईबीटी/ 4202-4625 /डीएफ़आईबीटी-23/2020-21

04 जनवरी 2021

परिपत्र सं. 03 / डीएफ़आईबीटी - 02 / 2021

1) अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2) प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी राज्य सहकारी बैंक / सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय / महोदया,

<u>वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) से सहायता – रुपे किसान कार्ड को सक्रिय करने के लिए एटीएम और/ या माइक्रो एटीएम में ग्रीन पिन सुविधा के कार्यान्वयन हेतु योजना</u>	**Support from Financial Inclusion Fund (FIF)- Scheme for implementing Green PIN facility at ATMs and/or microATMs for <u>RuPay Kisan Card Activation</u>**
रुपे किसान कार्ड का एक्टिवेशन बहुत कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन का प्रचार-प्रसार प्रभावित हुआ है. कार्ड के एक्टिवेशन में कमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिन मेलर की डिलिवरी में काफी समय लग जाता है.	Poor activation of RuPay Kisan Card has impacted the penetration of digital transactions in the rural areas. One of the reasons behind poor card activation is considerable amount of time taken in PIN mailer delivery.
2. कागज़ के पिन मेलरों के स्थान पर ग्रीन पिन सुविधा तैयार की गई है. इस सुविधा के माध्यम से कार्ड धारक, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अधिप्रमाणन के लिए भेजे गए ओटीपी के माध्यम से तत्काल अपना पिन निर्धारित कर सकते हैं. यह सुविधा सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के कार्डों तथा बार-बार गलत पिन डालने के कारण ब्लॉक हुए कार्डों के लिए उपयुक्त है.	2. The Green PIN facility is a replacement for Physical Paper Pin mailers. It enables cardholders to set their own PIN immediately for their Cards through OTPs sent to their Registered Mobile Numbers for authentication. It is supportable for both active & inactive cards and for those cards, which are blocked due to repeatedly entering of incorrect PIN.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग
प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2653 0024 • फैक्स : +91 22 2653 0150 • ई-मेल : dfibt@nabard.org
Department of Financial Inclusion & Banking Technology
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.• Tel.: +91 22 2653 0024• Fax : +91 22 2653 0150 • E-mail : dfibt@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े
www.nabard.org
Taking Rural India >> Forward

3. वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत विभेदीकृत नीति के एक भाग के रूप में, ग्रीन पिन सुविधा के लिए सहायता (वित्तीय) शुरू की गई है. योजना से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :	3. As a part of differentiated strategy under FIF, the support for Green PIN facility has been introduced. The details of the scheme are as under:
i) योजना: योजना का नाम **है - रुपे किसान कार्ड के एक्टिवेशन के लिए एटीएम और/ या माइक्रो एटीएम में ग्रीन पिन सुविधा के कार्यान्वयन की योजना.**	**i) Scheme:** The name of the scheme is **Support for implementation of Green PIN facility at ATMs and/or microATMs for RuPay Kisan Card Activation.**
ii) उद्देश्य: योजना का उद्देश्य है बैंक के एटीएम और/ या माइक्रो एटीएम में ग्रीन पिन सुविधा लागू करने के लिए एकबारगी कार्यान्वयन और एप्लिकेशन विकास लागत की प्रतिपूर्ति करना.	**ii) Objective:** The objective of the scheme is to reimburse one-time implementation and application development cost for enabling Green PIN facility at ATMs and/or microATMs of the Bank.
iii) पात्र संस्थाएँ: सभी लाइसेन्स प्राप्त ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) जिन्होंने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को लागू किया है और जो ग्रीन पिन सुविधा को पहले ही कार्यान्वित कर चुके हैं या जहाँ उक्त सुविधा के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है.	**iii) Eligible Institutions:** All licensed Rural Cooperative Banks (RCBs) and Regional Rural Banks (RRBs) having implemented Core Banking Solution (CBS) and which have already implemented Green PIN facility or are in the process of implementing the same.
iv) सहायता की मात्रा: प्रति बैंक 02 प्रकार के एटीएम तथा/ अथवा माइक्रो एटीएम के लिए ₹4.00 लाख की एकबारगी अनुदान सहायता अथवा वास्तविक व्यय की 90% राशि विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफ़डी) के लिए; 80% राशि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए और 90% राशि अन्य जिलों के ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए, इनमें से जो भी कम हो, दी जाएगी. अधिकतम दो तरह के मेक वाले एटीएम और/ अथवा माइक्रो एटीएम सहायता के लिए पात्र हैं. एक प्रकार की मेक वाले एटीएम अथवा माइक्रो एटीएम के लिए अधिकतम ₹2.00 लाख की सहायता दी जाएगी.	**iv) Extent of Support:** The maximum eligible one time grant support is ₹4.00 lakh per bank for 02 makes of ATM and/or microATM or 90% of the actual expenditure in case of Special Focus Districts (SFDs); 80% in case of RRBs and 90% for RCBs in case of other districts, whichever is lower. Maximum two makes of ATM and/or microATM are eligible for the support. The maximum support for one make of ATM or microATM is ₹2.00 lakh.

v) सहायता के घटक: ग्रीन पिन सक्रिय करने के लिए एटीएम तथा/ अथवा माइक्रो एटीएम हेतु स्विच स्तर पर एकबारगी कार्यान्वयन और एप्लिकेशन विकास लागत.	**v) Components of support:** One-time implementation and application development cost at switch level for ATM and/or microATM for Green PIN enablement.
vi)अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:	**vi)Procedure to be followed by banks to avail grant support:**
बैंक द्वारा मंजूरी हेतु प्रस्ताव और दावा दिनांक 23 अप्रैल 2019 के परिपत्र सं. 105/ डीएफ़आईबीटी-04/ 2019 के अनुबंध III और IV के अनुसार नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए.	The Banks may submit the proposal for sanction and claim as per Annexure – III & IV of Circular No.105/ DFIBT-04/2019 dated 23 April 2019 to the concerned Regional Offices of NABARD.
जो बैंक योजना के अंतर्गत एफ़आईएफ़ अनुदान के लिए पहले बार आवेदन कर रहे हैं, वे, यदि दिनांक 20 मार्च 2018 के नाबार्ड के परिपत्र सं. 52/ डीएफ़आईबीटी-05/ 2018 के अनुसार नाबार्ड के साथ पहले करार निष्पादित न कर चुके हों, तो उसे निष्पादित करें.	The Banks, which are seeking FIF grant under the scheme for the first time, may execute a Memorandum of Agreement with NABARD as per Circular No. 52/ DFIBT-05/ 2018 dated 20 March 2018, if not executed earlier.

भवदीय

डी. नागेश्वर राव

(डी. नागेश्वर राव)

मुख्य महाप्रबंधक